

123

समक्ष न्यायालय ,राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल,

जिला भोपाल

निगरानी क्र.- /2019



जमना प्रसाद हरिजन आयु-वयस्क
आत्मज श्री जयराम
निवासी- ग्राम सिंगीपुरी तहसील-सिलवानी
जिला रायसेन, म.प्र.

निगरानी-059/2019/रायसेन/भू०२०८

आवेदक / निगरानीकर्ता

विरुद्ध

रामगोपाल गोड आयु-वयस्क
आत्मज श्री सुम्मीलाल
निवासी- ग्राम सिंगीपुरी तहसील-सिलवानी
जिला रायसेन, म.प्र.

श्री लीला शर्मा
31/10/2019 31/5
B 06/5/2019 के
अमाआवेदक / उत्तरदाता
6-5-19

312

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959



आवेदक / निगरानीकर्ता माननीय अधिनस्थ न्यायालय आयुक्त/अपरआयुक्त भोपाल संभाग द्वारा प्रकरण क्र. 35/आर/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 05/11/2018 जिसके द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 04 क्र.03 की कंडिका 30 के अन्तर्गत इस प्रकरण में तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध खण्ड अधिकारी को अपील प्रस्तुत की गई थी। परिपत्र के अधीन द्वितीय अपील का प्रावधान न होने से प्रकरण निरस्त किया गया है आवेदक/निगरानीकर्ता माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05/11/2018 से असंतुष्ट होकर तथा अपनी असहमति प्रकट करते हुए वर्तमान निगरानी निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत करता है:-

[Handwritten signature]

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 0591/2019/रायसेन/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-5-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री नीलेश जोशी, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा प्रकरण वापिस करने का अनुरोध किया गया । अतः आवेदक अभिभाषक के निवेदन पर प्रकरण वापिस किया जाता है ।</p> <p></p>	<p> अध्यक्ष</p>